संख्या:4234/XIV-1/2017-5(10)/2009

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 22,सितम्बर, 2017

विषय- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहकारी सहभागिता योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के कम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-4531/नियो0/सहभागिता/टी0एस0पी0/2017-18 दिनांक 01 सितम्बर, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **सहकारी सहभागिता योजना (टी0एस0पी0)** के अन्तर्गत दिये जाने वाले कृषि/कृषयेत्तर ऋणों के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी0पी0एल0 परिवारों के कृषकों को अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किए जाने वाले ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹40.00 लाख (₹चालीस लाख मात्र)** के व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त दावों का निबन्धक स्तर से सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त ही सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। चालू वर्ष में स्वीकृत ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2018 तक ही सस्ते ऋण के सापेक्ष वार्षिक देयता के अनुरूप ब्याज अनुदान अनुमन्य होगा।

(2) राज्य सरकार के स्तर से देय ब्याज अनुदान की गणना भारत सरकार तथा नाबार्ड के स्तर

(4) धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) धनराशि का योजनावार व्यय विवरण निबन्धक प्रत्येक माह बी0एम0–13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता–00–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–05–सहकारी सहभागिता योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या:–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31मार्च 2017 एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:234(1)/XIV–1/2017, तद्दिनांकित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड **द्वारा निबन्धक।**
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।
9. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड **द्वारा निबन्धक।**
10. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।